

संख्या 31011/2/2009-सतर्कता
वन अनुसंधान संस्थान,
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद,
डाकघर न्यू फारेस्ट, देहरादून

दिनांक 09 जनवरी, 2018.

सेवा में,

1. सभी संबंधित प्रभाग प्रमुख
2. कुलसचिव, वन अनुसंधान संस्थान (स्थापना अनुभाग I, II, III, / भवन एवं विविध अनुभाग / अभिलेख अनुभाग)
3. समूह समन्वयक (अनुसंधान) वन अनुसंधान संस्थान।
4. पहरा एवं निगरानी अधिकारी, वन अनुसंधान संस्थान।
5. प्रभारी अधिकारी (हिन्दी अनुभाग) वन अनुसंधान संस्थान।
6. क्रय अधिकारी, वन अनुसंधान संस्थान।
7. भण्डार अधिकारी, वन अनुसंधान संस्थान।
8. अनुभाग अधिकारी, वन अनुसंधान संस्थान (परियोजना)
9. अनुभाग अधिकारी, वन अनुसंधान संस्थान (सामान्य)
10. प्रभारी, नव वन चिकित्सालय।
11. प्रभारी, कारखाना शाखा, वन अनुसंधान संस्थान।
12. कुलसचिव, वन अनुसंधान संस्थान, सम विश्वविद्यालय।
13. डीन (शैक्षिक), वन अनुसंधान संस्थान, सम विश्वविद्यालय।
14. प्रमुख, सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकीय पुनर्निवेशन केन्द्र, इलाहाबाद।
15. प्रयास एवं संपर्क अधिकारी, व. अ. ए. 01

विषय: सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा कैलेंडर वर्ष 2017 में की गई निजी विदेश यात्रा (Private Foreign Visit) के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मुख्य सतर्कता अधिकारी, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून के पत्र संख्या III-20/2016/मु0स0अ0/भा0वा0अ0शि0प0, दिनांक 01.01.2018 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ लें जिसमें उन्होंने अवगत कराया है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा कैलेंडर वर्ष 2017 में की गई निजी विदेश यात्रा की सूचना एकत्रित की जानी है तथा अनुरोध किया कि उपरोक्त सूचना उन्हें प्रपत्र 1 एवं 2 में भरकर उपलब्ध करवाएँ।

आपसे अनुरोध है कि अपने प्रभाग / अनुभाग से संबंधित सूचना प्रारूप-1 एवं 2 में भरकर इस कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध करवाएँ। यदि आपके प्रभाग / अनुभाग से किसी अधिकारी / कर्मचारी ने वर्ष 2017 में निजी विदेश यात्रा नहीं की है तब भी इस कार्यालय को शून्य सूचना अवश्य उपलब्ध करायी जाए।

भवदीय,
नीलिमा
09/01/18
(नीलिमा शाह)

सतर्कता अधिकारी,
वन अनुसंधान संस्थान।

सं० III-20/2016/मु०स०अ०/भा०वा०अ०शि०प०

मुख्य सतर्कता कार्यालय

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद्)

डाकघर, न्यू फॉरेस्ट, देहरादून।

33.
8/1/18

दिनांक 01 जनवरी, 2018

सेवा में,

समस्त उप-महानिदेशक/निदेशक (आई०सी०) भा.वा.अ.शि.प.,
समस्त सहायक महानिदेशक/सचिव, भा.वा.अ.शि.प.,
प्रमुख, आई.ए.सी./अवर सचिव, पेंशन सैल/केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
लेखा अधिकारी, भा.वा.अ.शि.प., अनुभाग अधिकारी, बजट अनुभाग,
उप-वनसंरक्षक (प्र०), भा.वा.अ.शि.प., निजी सचिव, महानिदेशक-कार्यालय, भा.वा.अ.शि.प.,
समस्त निदेशक, भा.वा.अ.शि.प. के संस्थान।

विषय: सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कैलेंडर वर्ष 2017 में की गयी निजी विदेश यात्रा (Private Foreign Visit) के संबंध में।


महोदय/महोदया,

केन्द्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कैलेंडर वर्ष 2017 में की गयी "निजी विदेश यात्रा" (Private Foreign Visit) पर सूचना एकत्रित की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने कार्यालय/संस्थान (एवं अधिनस्थ केन्द्र) से संबंधित वांछित सूचना पीछे दिये गये प्रपत्र 1 एवं 2 में भर कर उचित कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को **दिनांक 31.01.2018 अथवा उससे पूर्व** भिजवाने का कष्ट करें। सूचना "शून्य (Nil)" होने पर भी कृपया इस कार्यालय को सूचित करें।

कुलसचिव, का.क.ले

(Handwritten signature)



भवदीय,

(Handwritten signature)
(स०एस० सचिव)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्

देहरादून

